परिशिष्ट चौ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार व्यवहार में आने वाले प्रपत्रों और सूत्रों के नमूने।

सदस्यों को विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं सभा-सचिव को देनी पड़ती हैं और सभा के समक्ष लाये जाने वाले विषयों के संबंध में कई प्रकार के जो प्रस्ताव करने पड़ते हैं उनके प्रपत्र तथा इस संबंध में उन्हें जिन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है उनके रूप, कुछ दशाओं को छोड़कर परिनियत नहीं हैं। ऐसे प्रपत्रों और सूत्रों के नमूने सदस्यों की सुविधा के लिए नीचे दिये जा रहे हैं।

१। किसी प्रस्ताव पर विचार अगले सत्र के हेतु स्थगित करने के लिये विशेष आदेश के निमित्त प्रस्ताव सूचना [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(ii)]—

मैं इसके द्वारा सभा को (१).....सत्र में यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि :

यह सभा (२).....पर विचार आगामी सत्र के लिए स्थगित करने का विशेष आदेश दे।

२। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की सूचना [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६(२)]—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं।

३। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६(२)]—

मैं इसके द्वारा श्री/श्रीमती (१).....के इस प्रस्ताव पर कि राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सदस्यगण राज्यपाल के कृतज्ञ हैं, निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायं : (४).....

"परन्तु....."।

---

(१) यहां सत्र की संख्या का उल्लेख कीजिए जैसे, पचासीवां, पहला, दूसरा इत्यादि।

(२) यहां प्रस्ताव का नाम दीजिए।

(३) यहां उस सदस्य का नाम दीजिए जिसके नाम में प्रस्ताव है।

(४) यहां संशोधन का मूलपाठ दीजिए।

४। बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ९(२), १० (२) के अधीन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव देने का प्रपत्र—

सेवा में

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

महोदय,

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की सूचना देता हूँ कि श्री/श्रीमती (१)..... स० वि० स०, विधान-सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चुने जायं।

आपका विश्वसनीय,
स० वि० स०
(प्रस्तावक का हस्ताक्षर)।

मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

स० वि० स०
(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर)।

वक्तव्य।

मैं निर्वाचित होने पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में काम करने को राजी हूँ।

(अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए प्रस्थापित
सदस्य का हस्ताक्षर)।

५। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मनोनीत अध्यासी सदस्यों की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन होने के लिए किसी सदस्य को निर्धारित करने का प्रस्ताव [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १२(३)]—

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यासी सदस्यों की अनुपस्थिति को दृष्टि में रखकर यह सभा श्री/श्रीमती (२).....से अनुरोध करती है कि जबतक उनमें से कोई उपस्थित न हो, वे सभा में पीठासीन हों।

---

(१) यहां प्रस्थापित सदस्य का नाम लिखिए।
(२) यहां सदस्य का नाम लिखिए।

६। शुक्रवार को जो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत रहता है, सरकारी कार्य का संपादन करने की अनुमति के लिए प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६( ) के निलंबन के प्रस्ताव की सूचना [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६(१) का परन्तुक]—

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

शुक्रवार, तिथि (१).....को सरकारी कार्य-संपादन के लिए बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६(१) को निलंबित किया जाय।

७। किसी नीति, स्थिति, विवरण अथवा अन्य किसी विषय पर विचार करने के प्रस्ताव की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम ४१)—

मैं इसके द्वारा इसी सत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव सदन में उपस्थित करने की सूचना देता हूँ कि यह सदन निम्न विषय पर विचार करे :—

विषय (२).....

८। सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श करने की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम ४३)—

मैं इसके द्वारा इसी सत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूँ कि यह सदन निम्न सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श करे :—

विषय (३).....

९। परिनियत प्रस्ताव की सूचना (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ४४)—

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित परिनियत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

टिप्पणी—इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई निश्चित प्रपत्र नहीं है। प्रत्येक दशा में यह प्रपत्र उस परिनियम (स्टैच्यूट) के उपबन्ध द्वारा निर्धारित होता है जिसके अधीन तत्सम्बन्धी प्रस्ताव किया जाता है।

१०। प्रस्ताव को वापस लेने का सूत्र (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ४५)—

मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति मांगता हूँ।

११। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ४७ (१)]—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि (यहां संबद्ध विषय लिखिए).....का विचार अनिश्चित काल तिथि (४) तक स्थगित किया जाय।

---

(१) यहां तिथि लिखिए।
(२) विचारणीय विषय का उल्लेख।
(३) प्रस्तावित विषय का उल्लेख।
(४) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए जिस दिन के लिए कार्य स्थगित रहेगा।

१२। कार्यवाही से असंसद् भाषा या पदावली को अपलोपित करने का प्रस्ताव (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ५०)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि.....विषयक श्री/श्रीमती..... के भाषण के अंश को जिसे उन्होंने.....के संबंध में प्रयुक्त किया था और जिसकी ओर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है, सभा की कार्यवाही से अपलोपित किया जाय।(१)

१३। संशोधन में संशोधन का प्रस्ताव [वि० स० नियमावली का नियम ५५(५)]—

टिप्पणी—ऐसे संशोधनों का प्रपत्र वही है जो संकल्पों के संशोधनों का है, यथा—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री/श्रीमती.....द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन में "....." शब्द और "....." शब्द के बीच में "....." शब्द सन्निविष्ट किया जाय।

१४। विभाजन की मांग वापस लेने का सूत्र [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ५६(८)]—

मैं अपने विभाजन की मांग को वापस लेने की अनुमति सदन से मांगता हूँ।

१५। वाद-विवाद की बन्दी का प्रस्ताव [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ३७(१)]—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब प्रश्न रखा जाय।

१६। नियमापत्ति करने का सूत्र [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६१(२)]—

मैं नियमापत्ति करना चाहता हूँ। क्या (२)..... नियमानुसार है ?

टिप्पणी—नियमापत्ति तत्समय सदन में हुई किसी अनियमितता की ओर अध्यक्ष का ध्यान अतिशीघ्र आकृष्ट करने का साधन है।

---

(१) प्रसंग के अनुसार निर्देशों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों को भरें।
(२) यहां नियमापत्ति का विषय बताइये।

१७। किसी सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित कर देने का प्रस्ताव [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६३(३)]—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री/श्रीमती (१).....को इस सदन की सेवा से (२).....के लिए निलंबित किया जाय।

१८। सभा से स्थान-त्याग का प्रपत्र (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६५)—

स्थान :
तिथि :

सेवा में,
अध्यक्ष,
बिहार विधान-सभा, पटना।

महोदय,

मैं इसके द्वारा तिथि (३).....से सदन के अपने स्थान का त्याग करता हूँ।

विश्वासभाजन,

सदस्य, विधान-सभा।

१९। सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्रपत्र [विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६७(१)]—

स्थान :
तिथि :

सेवा में,
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा, पटना।

महोदय,

मुझे निवेदन करना है कि (४).....के कारण ता०.....से (५) ता०.....तक मैं सभा की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

मेरा आवेदन इसकी अनुज्ञा के लिए सभा के समक्ष रखा जाय।

विश्वासभाजन,

सदस्य, विधान-सभा।

---

(१) यहाँ सदस्य का नाम लिखिए।
(२) यहाँ निलंबन की अवधि लिखिए।
(३) यहाँ तिथि लिखिए।
(४) यहाँ अनुपस्थिति का कारण लिखिए।
(५) यहाँ अवधि लिखिए।

२० । न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्रपत्र (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ६८)--

स्थान :
तिथि :

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

महोदय,

मुझे निवेदन करना है कि मुझे तिथि (१).....को (२).....
के (३).....में साक्षी के रूप में उपस्थित होना है ।

अतः (४)..... तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के लिए मेरा आवेदन सभा के समक्ष रखा जाय ।

विश्वासभाजन,

सदस्य, विधान-सभा ।

---

२१ (१) । तारांकित प्रश्न की सूचना (तारांकित या अतारांकित) [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ७८ (१)]--

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित तारांकित/अतारांकित प्रश्न को सभा के (५)..... सत्र में पूछने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ :--

मुख्य मंत्री
क्या ———— यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---
मंत्री, ...विभाग

(१) क्या यह बात सही है कि.....
(२) क्या.....
(३) क्या.....
(४) क्या.....
(५) यदि खंड (१), (२), (३) एवं (४) के उत्तर स्वीकारात्मक/नकारात्मक हैं, तो.....

टिप्पणी--किसी स्थिति में किसी प्रश्न के ५ से अधिक खंड न होने चाहिये ।

---

(१) यहां तिथि लिखिए ।
(२) यहां वह स्थान लिखिए जहां न्यायालय स्थित है ।
(३) यहां न्यायालय का नाम लिखिए ।
(४) यहां अनुपस्थिति की अवधि लिखिए ।
(५) यहां सत्र की संख्या लिखिए, जैसे, यथास्थिति पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि ।

२१ (२)। उस प्रश्न की सूचना जो किसी विशेष तिथि को पूछा जाने वाला हो—

मैं इसके द्वारा अनुलग्न प्रश्न की सूचना देता हूँ, जिसे तिथि (१).....को पूछने का मेरा विचार है।

---

२१ (३)। अत्यावश्यक प्रश्न की सूचना [प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ७८(४) का परंतुक)]—

मैं इसके द्वारा अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित विषय के संबंध में अनुलग्न अल्प-सूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ जिसे तिथि (१).....को पूछने का मेरा विचार है।

मैंने संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की सम्मति ले ली है।

---

२१ (४)। प्रश्नोत्तर से उठने वाले लोक महत्व के विषय पर विचार-विमर्श करने के प्रस्ताव की सूचना (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ९४)—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

प्रश्न संख्या (२).... और उसके दिए गए उत्तर से उठे निम्नलिखित विषय पर, जो पर्याप्त लोक-महत्व का है, (३).....तिथि.....१९.. को वाद-विवाद हो।

(यहां वाद-विवाद के विषय का उल्लेख कीजिए।)

एक व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुलग्न है जिसमें सम्बद्ध विषय पर विमर्श का कारण बताया गया है।

इस सूचना का समर्थन करने वाले अन्य दो सदस्यों के हस्ताक्षर नीचे दिए जाते हैं :—

(क)

(ख)

---

२१ (५)। प्रश्न को वापस लेने की सूचना—

मैं इसके द्वारा अपने पत्र, दिनांक (१).....के साथ भेजे गए (४).....विषयक अपने प्रश्न की सूचना वापस लेता हूँ।

---

(१) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए।

(२) यहां प्रश्न की क्रम संख्या दीजिए।

(३) यहां दिन और तिथि लिखिए जिस दिन वाद-विवाद उठाने की इच्छा है।

(४) यहां संक्षेप में विषय लिखिये।

२२ । अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार-विमर्श के लिए सभा-कार्य के स्थगन के प्रस्ताव की सूचना (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ९८)—

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं : अत्यावश्यक लोक महत्व के निम्नलिखित निश्चित विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्य का स्थगन हो :

(यहां विचार-विमर्श के प्रस्तावित विषय का उल्लेख कीजिए ।)

---

२३ । अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना (वि०स० नियमावली का नियम १०४)—

मैं इसके द्वारा अत्यावश्यक लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर तिथि (१)..... को मुख्य मंत्री मंत्री, ...विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :—

विषय (२).....

---

२४ । अल्प अवधि के लिए अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १०५)—

मैं इसके द्वारा इसी सत्र में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर चर्चा उठाने की इच्छा की सूचना देता हूं :—

विषय (२).....

---

२५ । मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १०६)—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि—

यह सभा मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करती है ।

---

(१) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए ।

(२) यहां संक्षेप में विषय लिखिए ।

२६ । अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प की सूचना (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ११०)--

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि---
यह सभा संकल्प करती है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाय ।

---

२७ । विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना (प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १११)---

मैं इसके द्वारा (१) ..... विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ ।

उद्देश्य और हेतु के विवरण सहित विधेयक की एक प्रति (संविधान द्वारा अपेक्षित पूर्व मंजूरी/सिफारिश की एक प्रति के साथ) अनुलग्न है (२) ।

---

२८ । प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ११२ के अधीन पहले ही राजपत्र में प्रकाशित किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की इच्छा की सूचना (वि० सं० प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम ११५)---

मैं इसके द्वारा (१) ..... विधेयक, पुरःस्थापित करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ ।

---

२९ । विधेयक से संबद्ध कागज-पत्र के लिए अधियाचना का प्रपत्र (वि० स० प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १२०)---

मैं निवेदन करता हूँ कि (१) ..... से संबद्ध निम्नलिखित कागज पत्र/विवरणी मुझे दिये जायं/दी जाय ।

---

(१) यहां विधेयक का नाम यथा संक्षिप्त लिखिए ।

(२) स्थिति के अनुसार जहां ऐसी मंजूरी या सिफारिश की अपेक्षा है वहां इसके लेख्य को, यथास्थिति वि० स० नियम ११७(१) या ११९(१) या दोनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विधेयक की सूचना के साथ संलग्न कर देना चाहिए ।

३० । विधेयकों के पुरःस्थापित हो जाने के बाद प्रस्तावों की सूचना (वि०स० प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १२१)—

टिप्पणी—(१) प्रक्रिया नियमावली के नियम १२१ के अधीन प्रभारी सदस्य निम्नलिखित चार प्रस्तावों में से किसी एक की सूचना दे सकते हैं ।

(२) साधारणतया पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की या पुरःस्थापित करने की केवल इच्छा की और अनुवर्ती प्रस्ताव (निम्नलिखित चार में से कोई एक) की सम्मिलित सूचना दी जाती है ; किन्तु कोई सदस्य अनुवर्ती प्रस्तावों को आगामी तिथि के लिए स्थगित कर केवल पुरःस्थापित करने की सूचना भी दे सकते हैं ।

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

(१).....विधेयक—

(१) पर विचार हो और उसे पारित किया जाय ;

(२) निम्नलिखित (२) सभा-सदस्यों से गठित एक प्रवर-समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाय कि तिथि.....(३) को या इसके पहले वह अपना प्रतिवेदन दे;

(३) विधान-सभा और विधान-परिषद् की एक संयुक्त प्रवर-समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाय कि (तिथि (३).....को या इससे पहले वह अपना प्रतिवेदन दे) और संयुक्त प्रवर-समिति के (४).....सदस्य हों ;

(४) तिथि (३).....तक लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ।

---

३१ । सदस्य को विधेयक पुरःस्थापित करने की इच्छा की और अनुवर्ती प्रस्ताव की सम्मिलित सूचना—

मैं इसके द्वारा (१).....को पुरःस्थापित करने की अनुमति / पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ और साथ ही यह भी सूचना देता हूँ कि पुरःस्थापित हो जाने के बाद उक्त विधेयक—

(१) पर विचार हो और उसे पारित किया जाय; या

---

(१) यहां विधेयक का नाम वर्ष सहित दीजिए ।

(२) सूचना में सदस्यों का नाम देना चाहिए ।

(३) यहां तिथि दीजिए ।

(४) यहां प्रस्तावित सदस्यों की संपूर्ण संख्या दीजिए ।

(२) निम्नलिखित (१)सभा-सदस्यों से गठित एक प्रवर-समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाय कि [तिथि (२).....को या इससे पहले वह अपना प्रतिवेदन दे] ; या

(३) विधान-सभा और विधान परिषद् की एक संयुक्त प्रवर-समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाय कि [तिथि (२).....को या इससे पहले वह अपना प्रतिवेदन दे] और संयुक्त प्रवर-समिति के (३).....सदस्य हों, या

(४) तिथि (२).....तक लोकमत जानने के लिए परिचारित किया जाय ।

---

३२ । विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन की सूचना (वि०स० प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १२२(२) (क)—

मैं इसके द्वारा श्री/श्रीमती.....(४) के प्रस्ताव पर कि (५)..... विधेयक पर विचार हो, निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि :—

(१) (५).....विधेयक सभा के निम्नलिखित सभा-सदस्यों (१) से गठित एक प्रवर-समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाय कि [तिथि.....(२) को या इससे पहले वह अपना प्रतिवेदन दे]।

(२) (५).....विधेयक विधान-सभा और विधान परिषद् की एक संयुक्त प्रवर-समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाय कि [तिथि (२)..... को या इससे पहले वह अपना प्रतिवेदन दे] और उस संयुक्त प्रवर-समिति में (३).....सदस्य हों ।

(३) (५).....विधेयक तिथि (२).....तक लोकमत जानने के लिए परिचारित किया जाय ।

टिप्पणी—संशोधन के प्रस्तावक उपर्युक्त तीन संशोधनों में से किसी एक की सूचना दे सकते हैं ।

---

(१) सूचना में सदस्यों का नाम होना चाहिए ।

(२) यहां तिथि दीजिए ।

(३) यहां प्रस्तावित सदस्यों की संपूर्ण संख्या दीजिए ।

(४) यहां सम्बन्धित सदस्य का नाम दीजिए ।

(५) यहां विधेयक का नाम दीजिए ।

प्रवर-समिति

३३ । विधेयक को एक——————को सौंपे जाने के प्रस्ताव के संबंध में संशोधन की

संयुक्त प्रवर-समिति

सूचना [वि० स० प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम १२२(२) (ख)]—

मैं इसके द्वारा श्री/श्रीमती (१).....के प्रस्ताव पर कि

प्रवर-समिति

(२).....विधेयक को——————को सौंपा जाय, निम्नलिखित संशोधन

संयुक्त प्रवर-समि

का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

(२).....विधेयक को तिथि (३)..... तक लोकमत जानने के लिए परिचारित किया जाय ।

---

३४ । किसी ऐसे विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव की सूचना जो न प्रवर-समिति/संयुक्त प्रवर-समिति को सौंपा गया है और न जिसमें सभा द्वारा कोई संशोधन हुआ है (वि०स० नियमावली का नियम १३१)—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की सूचना देता हूँ कि—

.....विधेयक, १९..., पारित हो ।

---

३५ । प्रवर-समिति संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव की सूचना, जिसमें सभा द्वारा कोई संशोधन नहीं हुआ है (वि० स० नियमावली का नियम १३१)—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की सूचना देता हूँ कि—

प्रवर-समिति संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित (४).....विधेयक, १९.., पारित हो ।

---

३६ । प्रवर-समिति संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित किन्तु सभा द्वारा संशोधित विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १३१)—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की सूचना देता हूँ कि :

सभा द्वारा यथासंशोधित (४).....विधेयक पारित हो ।

---

३७ । विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति मांगने में व्यवहृत सूत्र (वि० स० नियमावली का नियम १३७)—

मैं अपने (४).....विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूँ ।

---

(१) यहां संबंधित सदस्य का नाम दीजिए ।

(२) यहां विधेयक का नाम दीजिए ।

(३) यहां तिथि दीजिए ।

(४) यहां विधेयक का नाम वर्ष सहित दीजिए ।

३८। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) के अधीन प्रख्यापित किसी अध्यादेश को अस्वीकृत करने की संकल्प की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १४०)—

मैं इसके द्वारा तिथि.....(१) को निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

सभा.....(२) अध्यादेश को अस्वीकृत करे।

३९। सभा में उद्भूत किसी ऐसे विधेयक पर जो परिषद् द्वारा अस्वीकृत किया गया हो या परिषद् के सामने रखे जाने की तिथि से उसके द्वारा पारित हुए बिना तीन मास से अधिक तक रह गया हो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करने और उसे पारित करने की सूचना [वि० स० नियमावली का नियम १४१ (१) (क) और (ख)]।

(१) मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि—

(२).....विधेयक पर, जो विधान-परिषद् द्वारा अस्वीकृत हुआ है, द्वितीय बार विचार हो और इसे स्वीकृत किया जाय।

(२) चूंकि तिथि.....(४) से, जिस दिन.....(३) विधेयक विधान परिषद् के सामने रखा गया था, इसके विधान परिषद् द्वारा पारित हुए बिना तीन मास से अधिक बीत गया है, मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि—

.....(३) विधेयक पर, जो विधान परिषद् के सामने तिथि .....(४) को रखा गया था और जो परिषद् द्वारा पारित हुए बिना उसी प्रकार रह गया है, विचार हो और उसे पारित किया जाय।

४०। सभा में उद्भूत विधेयक में परिषद् द्वारा किये या सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने की सूचना [वि० स० नियमावली का नियम १४१ (१) (ग) और (६)]—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि—

.....(३) विधेयक में विधान-परिषद् द्वारा किए या सुझाए गए संशोधनों पर विचार हो।

---

(१) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए जिस दिन प्रस्ताव उपस्थित करना हो।

(२) यहां अध्यादेशों का नाम दीजिए।

(३) यहां विधेयक का नाम दीजिए।

(४) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए।

४१। किसी विधेयक में परिषद् द्वारा किए या सुझाए गए संशोधनों में संशोधन करने के प्रस्ताव की सूचना [वि० स० नियमावली का नियम १४१(१) (ग) और (घ)]—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि—

खंड.....

.....(१) विधेयक के————————————में परिषद् द्वारा किए या सुझाए गए

खंड.....के उप-खंड....

संशोधन निकाल दिए जायं।

टिप्पणी—अन्य प्रस्तावों के प्रपत्रों के लिए विधेयकों में संशोधन करने के प्रस्तावों के प्रपत्र आवश्यक परिवर्त्तन के साथ उपभोग में लाए जा सकते हैं।

४२। किसी धन-विधेयक में, जो प्राप्ति की तिथि से १४ दिन की अवधि के भीतर परिषद् द्वारा लौटाया जाय, संशोधनों की सिफारिश पर विचार करने के प्रस्ताव की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १४२)—

मैं इसके द्वारा यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि—

.....(१) विधेयक में, जो एक धन-विधेयक है, परिषद् द्वारा अभिस्तावित संशोधनों पर विचार हो।

४३। परिषद् द्वारा यथापारित और प्रेषित परिषद् विधेयक पर सभा द्वारा विचार करने की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १४३)—

मैं इसके द्वारा तिथि.....(२) को यह प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि—परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित.....
.....(१) विधेयक पर विचार हो।

टिप्पणी—ऐसे विधेयकों में संशोधन के प्रस्ताव के प्रपत्रों के लिए विधेयकों में संशोधन के प्रस्तावों के प्रपत्र देखिए।

---

(१) यहां विधेयक का नाम दीजिए।

(२) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए जिस दिन प्रस्ताव/संकल्प उपस्थित करना हो।

४४-४५ । साधारण संकल्प की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १५०)—

मैं इसके द्वारा सूचना देता हूँ कि अनुलग्न संकल्प को सभा के.....(१) सत्र में तिथि .....(२) को प्रस्तुत करने का मेरा विचार है ।

(अनुलग्नक)

यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है कि (३)....

---

४६ । अल्प-सूचित संकल्पों की सूचना (वि० स० नियमावली के नियम १५० का प्रथम परन्तुक)—

मैं इसके द्वारा सूचना देता हूँ कि (वही प्रपत्र जो साधारण संकल्पों के लिये ऊपर दिया गया है)—

विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम १५० के प्रथम परन्तुक के अधीन मैंने सम्बन्धित विभाग के प्रभारी मंत्री की सहमति ले ली है और उसे मैं इसके साथ संलग्न करता हूँ ।

---

४७ । संकल्पों में संशोधन की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १६०)—

मैं इसके द्वारा श्री/श्रीमती.....के नाम में रखे गए.....के सम्बन्ध में संकल्प संख्या.....में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ (४).....

ऐसे संशोधनों को प्रस्तुत करने में निम्नलिखित सूत्रों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है :—

(१) "....." शब्दों के बाद आए हुए "....." शब्दों को निकाल दिया जाय ।

(२) "....." शब्द और "....." शब्द के बीच में "....." शब्द सन्निविष्ट किया जाय ।

(३) "....." शब्द के स्थान में "....." शब्द रखा जाय ।

(४) संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाय :—
"....." यहां शब्दों को लिखिए ।

---

(१) यहां सत्र की संख्या लिखिए, जैसे, यथास्थिति पहला, दूसरा, इत्यादि ।
(२) यहां ठीक-ठीक तिथि लिखिए जिस दिन प्रस्ताव संकल्प प्रस्तुत करना हो ।
(३) यहां संकल्प का पूरा पाठ दीजिए ।
(४) यहां कार्य-सूची का, जिसमें संकल्प समाविष्ट है, संकल्प के विषय का और सदस्य के नाम का, जिसके नाम में संकल्प दिया हुआ है, निर्देश होना चाहिए ।

४८। संकल्प वापस लेने का सूत्र (वि० स० नियमावली का नियम १६१)—

मैं अपने संकल्प को वापस लेने की सभा से अनुमति मांगता हूँ।

टिप्पणी—संकल्प के किसी संशोधन को या ऐसे संशोधन के संशोधन को वापस लेने में भी इसी सूत्र का प्रयोग होता है।

४९। अनुदानों की वार्षिक मांग के संबंध में किसी मंत्री द्वारा किया जानेवाला प्रस्ताव और प्रयोग में आनेवाला सूत्र (वि० स० नियमावली का नियम १६८)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

.....(१) के संबंध में ३१ मार्च १९६....ई०(२) को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये..... रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

५०। लोप वा न्यून करने के प्रस्तावों की सूचना [वि० स० नियमावली का नियम १७३ (२) और (३)]—

सेवा में,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

महोदय,

मैं इसके द्वारा.....(३) वर्ष के आय-व्ययक प्राक्कलनों के संबन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ :

विश्वासभाजन,

तिथि.....

सदस्य, विधान-सभा।

---

(१) मांग से संबंध रखनेवाली सेवा का नाम दें।

(२) यहां वर्ष लिखिये।

(३) यहां उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख कीजिए जिससे आय-व्ययक प्राक्कलनों का सम्बन्ध है।

मांग संख्या......

आय-व्ययक शीर्षक ।

असैनिक

सिंचाई

आय-व्ययक का पृष्ठ.........

लोक-निर्माण विभाग

में से...रु० घटाया

............के लिए........रु० की मांग का/के उपबंध/ की मद--------------

लुप्त किया की जाय ।

विचार विमर्श करने के लिए......(१)

टिप्पणी--कटौती प्रस्तावों की सूचना देने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिये :--

१। एक प्रपत्र पर एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिखना चाहिए। यदि दो या इससे अधिक प्रस्ताव देना हो, तो प्रत्येक प्रस्ताव के लिये पृथक प्रपत्र का व्यवहार होना चाहिये ।

२। कटौती के प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना में प्रस्तावित विचार-विमर्श के उद्देश्य का संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए। एक प्रस्ताव में केवल एक ही निश्चित वाद-पद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

३। ऐसे प्रस्ताव की सूचना में तर्क, अनुमान, व्यंग्यपूर्ण पद या मानहानिकर वक्तव्यों का समावेश नहीं होना चाहिए और न किसी व्यक्ति के, उसके अधिकारीय या सार्वजनिक पद को छोड़कर, आचरण या चरित्र का ही उल्लेख होना चाहिये ।

४। ऐसे प्रस्ताव की सूचना में किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं रहना चाहिए जो किसी ऐसे न्यायालय के निर्णयाधीन हो, जिसका क्षेत्राधिकार भारतीय संघ के किसी भाग में है ।

५। प्रतीक कटौती की राशि साधारणतः १ रु० और १० रु० की होती है । १ रुपये की कटौती मांग की किसी मद के अन्तर्गत या ऐसी मांग के किसी मद-समूह के अन्तर्गत की जाती है और १० रुपये की कटौती सम्पूर्ण मांग के अन्तर्गत की जाती है ।

६। यदि मितव्ययिता के आधार पर किसी बड़ी राशि के घटाने का प्रस्ताव करना हो तो घटायी जानेवाली यथार्थ राशि और आय-व्ययक में इसके स्थान का उल्लेख रहना चाहिए। साथ ही प्रस्तावित यथार्थ राशि का ब्यौरा देना चाहिए ।

७। सम्पूर्ण अनुदान के घटाने के प्रस्ताव के पहले अनुदान की मदों के घटाने या लोपित करने के प्रस्ताव लिये जाते हैं और मितव्ययिता के आधार पर केवल प्रतीक कटौती प्रस्तावों की अपेक्षा बड़ी राशि के घटाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलती है ।

---

(१) यहां विचार-विमर्श के लिये लाए जाने वाले विषय को संक्षेपतः किन्तु यथार्थतः लिखिए ।

(८) प्रत्येक मांग के लेखानुसार ही कटौती-प्रस्ताव देना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक प्रस्ताव व्यय के विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत, जिससे उसका संबंध है, प्रस्तुत होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में समुचित एकक या उप-शीर्षक का उल्लेख होना चाहिए।

(९) जहां व्यय की एक ही मद से संबद्ध कई विषयों पर विचार-विमर्श करना हो, वहां प्रत्येक ऐसे विषय के लिए पृथक प्रस्ताव होना चाहिए। ऐसे सब विषयों को एक ही प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

(१०) सम्पूर्ण मांग को लोपित करने का प्रस्ताव नियम विरुद्ध है, किन्तु सम्पूर्ण मांग या मांग के उप-शीर्षक के अन्तर्गत किसी मद को लोपित करने का प्रस्ताव नियमानुकूल है।

(११) अनुदान की कई मदों के घटाने का एक प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है, प्रत्येक मद के लिए पृथक् प्रस्ताव होना चाहिए।

(१२) जब किसी ऐसे अनुदान से सम्बद्ध किसी आपत्ति पर विचार का प्रस्ताव करना हो जिसके लिये उस अनुदान की किसी मद में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो इस दशा में सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत घटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकता है।

५१। लेखानुदान के संबंध में किसी मंत्री द्वारा किया जानेवाला प्रस्ताव और उद्योग में आनेवाला सूत्र (वि० स० नियमावली का नियम १७५)—

"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रस्ताव की अनुसूची के .....(१) स्तम्भ में दिखाया गया अधिक-से-अधिक.....(२) की रकम का संलग्न लेखानुदान, उक्त अनुसूची के .....(१) स्तम्भ में प्रविष्ट अनुसारी मांग शीर्षकों के संबंध में ३१ मार्च १९६.... को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर खर्च करने के लिए स्वीकृत किया जाय।"

५२। अधिकाई अनुदानों की मांगों के संबंध में किसी मंत्री द्वारा किया जानेवाला प्रस्ताव और प्रयोग में आनेवाला सूत्र (वि० स० नियमावली का नियम १७७)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पृष्ठ.....पर दिए १९६.....१९६.....वर्ष के अधिकाई व्यय विवरण की अनुसूची में दिखलाये अनुदान संख्या .....(३) के संबंध में १९६....एवं १९६...वर्ष के बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित विनियोग अधिनियमों के उपबंध से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिये.....रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।

यह लोक लेखा समिति द्वारा समर्थित है।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

---

(१) स्तम्भ का नामोल्लेख करें।
(२) राशि का उल्लेख करें।
(३) मांग से संबंध रखनेवाली सेवा का नामोल्लेख करें।

५३। अनुदानों की अनुपूरक मांग के सम्बन्ध में किसी मंत्री द्वारा किया जाने वाला प्रस्ताव और प्रयोग में आनेवाला सूत्र [वि० स० नियमावली का नियम १८६(२)]—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(१) अनुपूरक व्यय विवरण के पृष्ठ .....पर की अनुसूची में दी गई योजनाओं के लिए .....(२) के संबंध में ३१ मार्च, १९६.... को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित बिहार विनियोग अधिनियम, १९६.....(३) के उपबन्ध के अतिरिक्त .....(४) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

५४। अनुपूरक अनुदान को लुप्त करने या घटाने के प्रस्तावों की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम १८०)—

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

महोदय,

मैं इसके द्वारा १९६...वर्ष (५) के प्रथम / द्वितीय / तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं।

विश्वासभाजन,

तिथि.....

सदस्य, बिहार विधान-सभा।

मांग संख्या .....

आय-व्ययक शीर्षक.....

(५)....वर्ष के प्रथम / द्वितीय / तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के पृष्ठ.....की क्रम संख्या.....

(व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ....की क्रम संख्या....देखें)

में से....रु० घटाया

.....के लिये.....रु० की मांग/का उपबन्ध की मद————————/जाय।

लुप्त किया/की

विचार-विमर्श करने के लिये ....(६)

---

(१) मांग से संबंध रखनेवाली सेवा का नाम दें।
(२) यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुपूरक का उल्लेख करें।
(३) सभी अधिनियमों का उल्लेख करें।
(४) यहां अनुदान की सम्पूर्ण राशि लिखिए।
(५) यहां उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख कीजिये जिससे अनुपूरक व्यय विवरण का संबंध है
(६) विचार-विमर्श के लिए लिए जानेवाले विषय को संक्षेपतः किन्तु यथार्थतः लिखिए।

टिप्पणी—कटौती प्रस्तावों की सूचना देने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए :—

(१) एक प्रपत्र पर एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिखना चाहिये । यदि दो या अधिक प्रस्ताव देने हों तो प्रत्येक प्रस्ताव के लिये पृथक प्रपत्र का प्रयोग होना चाहिये ।

(२) कटौती के प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना में विचार-विमर्श के विषय का स्पष्टतः तथा यथार्थतः उल्लेख रहना चाहिये । परन्तु ऐसे प्रस्ताव में एक से अधिक निश्चित विषय नहीं रहना चाहिए ।

(३) ऐसे प्रस्ताव की सूचना में तर्क, अनुमान, आक्षेप और व्यंगात्मक या मान हानिकर विवरण नहीं रहेगा और न उसमें किसी व्यक्ति के, सरकारी या सार्वजनिक पद से असम्बद्ध व्यक्तिगत आचरण या चरित्र का उल्लेख रहेगा ।

(४) ऐसे प्रस्ताव की सूचना में किसी ऐसे विषय का निर्देश नहीं रहेगा जो भारतीय संघ के किसी भाग में अधिकार-क्षेत्र रखनेवाले किसी न्यायालय के निर्णयाधीन हो ।

(५) प्रतीक कटौती की राशि साधारणतः १ रुपए और १० रुपये की होती है । एक रुपए की कटौती मांग की किसी मद के अधीन या मांग के कुछ मद-समूहों के अधीन की जाती है और १० रुपए की कटौती किसी सम्पूर्ण मांग के अधीन की जाती है ।

(६) यदि मितव्ययिता के आधार पर एक बड़ी राशि के घटाने का प्रस्ताव करना हो तो घटाई जानेवाली यथार्थ राशि का और संबंधित मांग में इसके स्थान का निर्देश रहना चाहिए । प्रस्तावित यथार्थ राशि के आंकड़ों का ब्योरा भी लिखा रहना चाहिए ।

(७) अनुदान की मदों को घटाने या लोप करने के प्रस्ताव सम्पूर्ण अनुदानों को घटाने के प्रस्तावों के पहले लिए जाते हैं और मितव्ययिता के आधार पर बड़ी राशि के घटाने के प्रस्ताव केवल प्रतीक कटौती प्रस्तावों के पहले लिए जाते हैं ।

(८) प्रत्येक मांग के क्षेत्र के अनुसार कटौती का प्रस्ताव देना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक प्रस्ताव व्यय के विशेष शीर्षक के अधीन, जिससे उसका संबन्ध है, प्रस्तुत होना चाहिए । प्रत्येक स्थिति में समुचित एकक या उप-शीर्षक का उल्लेख होना चाहिए ।

(९) (क) किसी कटौती प्रस्ताव की सूचना देते समय सदस्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस विशेष उपबन्ध या मद के संबंध में वह विचार-विमर्श करना चाहता है, उसके व्याख्यात्मक ज्ञापन को उसने पढ़ लिया है, और

(ख) ऐसी प्रत्येक सूचना में सदस्य को अनुपूरक विवरण के क्रमांक तथा पृष्ठ का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए जहां विचार-विमर्श के लिये अभिप्रेत उपबन्ध या मद यथार्थतः दिखाई गई है । व्याख्यात्मक ज्ञापन का पृष्ठ भी लिखा रहना चाहिए ।

(१०) जहां व्यय की एक ही मद से संबद्ध कई विषयों पर विचार-विमर्श करना हो, वहां प्रत्येक विषय के लिये एक पृथक प्रस्ताव होना चाहिये । ऐसे सभी विषयों को एक ही प्रस्ताव में संयुक्त नहीं कर देना चाहिये ।

व्याख्या—यदि किसी उपबन्ध को घटाने का विचार हो जिसकी क्रम संख्या विवरण में ८६ है तो अनुपूरक विवरण में संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन की क्रम संख्या ८६ देखकर सदस्य को उस उपबन्ध का क्षेत्र जान लेना चाहिये जिसमें उसकी सूचना उक्त उपबन्ध में क्षेत्र के बाहर न चली जाय ।

(११) संपूर्ण मांग को लुप्त करने का प्रस्ताव नियम-विरुद्ध है ; किन्तु मांग के या मांग के उप-शीर्षक के अधीन किसी मद को निकालने का प्रस्ताव नियमानुकूल है ।

(१२) अनुदान की कई मदों को घटाने का कोई एक प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है । मद के लिये एक पृथक प्रस्ताव होना चाहिये ।

---

५५ । प्रत्यानुदान या अपवादानुदान के संबंध में किसी मंत्री द्वारा किया जाने वाला प्रस्ताव और प्रयोग में आनेवाला सूत्र (वि० सं० नियमावली का नियम १८१)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

३१ मार्च, १९६...(१) को समाप्त होनेवाले वर्ष में.....(२) के संबंध में, सभा के साधारण अनुदानों में जितना उपबंधित है उसके अतिरिक्त जो भुगतान के सिलसिले में व्यय होगा उसके लिये राज्य-सरकार को .....(३) रुपये से अनधिक राशि प्रत्यानुदान या अपवादानुदान के रूप में दी जाय ।

---

५६ । प्रवर-समिति / संयुक्त प्रवर-समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की सूचना [वि० सं० प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम २२८(१)/२३०(४)]—

मैं इसके द्वारा (४).....विधेयक पर] प्रवर-समिति / संयुक्त प्रवर-समिति का प्रतिवेदन तिथि (५).....को उपस्थापित करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ ।

---

(१) यहां वर्ष लिखिए ।
(२) यहां अनुदान के प्रयोजन का उल्लेख कीजिये ।
(३) यहां सभा द्वारा दिए जानेवाले अनुदान की संपूर्ण राशि लिखिए ।
(४) यहां विधेयक का नाम दीजिए ।
(५) यहां तिथि दीजिए ।

५७। प्रवर-समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद प्रस्ताव की सूचना (वि० स० नियमावली का नियम २२६)--

सभा के (१)..... सत्र में

मैं इसके द्वारा----------------------निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपनी

तिथि (२)..........को

इच्छा की सूचना देता हूँ कि

प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित (३)...............विधेयक--

(१) पर विचार हो और उसे पारित किया जाय ; या

(२) (अ) बिना प्रतिबन्ध के, या

खंड/खंडों (४)

(आ)------------............................के संबंध में, या

संशोधन संशोधनों (५)

(६)

(इ) विधेयक में---------............उपबन्ध करने के अनुदेश के साथ, उसी

(७)

प्रवर-समिति को फिर सौंपा जाय; या

लोकमत परिचारित

(३) तिथि (२)...........तक-----------जानने के लिये -----------

और लोकमत पुनः परिचारित

किया जाय।

टिप्पणी—विधेयक के प्रभारी सदस्य उपर्युक्त तीन प्रस्तावों में से किसी एक की सूचना दे सकते हैं।

५८। विधेयक पर प्रवर-समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद विधेयक के प्रभारी सदस्य के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना [वि० स० नियमावली का नियम २२६(१) (क)]---

मैं इसके द्वारा श्री/श्रीमती (८).............के प्रस्ताव पर कि प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पर विचार हो।

---

(१) यहां सत्र की संख्या का उल्लेख कीजिए, जैसे, यथास्थिति पहला, दूसरा, इत्यादि।
(२) यहां तिथि दीजिये।
(३) यहां विधेयक का नाम दीजिये।
(४) यहां खंड या खंडों की संख्या दीजिये।
(५) यहां संशोधनों का उल्लेख कीजिये।
(६) यहां अभिस्तावित विशेष उपबन्ध दीजिये।
(७) यहां अभिस्तावित अतिरिक्त उपबन्ध दीजिये।
(८) यहां प्रारम्भिक मूल प्रस्ताव के प्रभारी सदस्य का नाम दीजिये।

निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं कि:—
प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित (१) .....विधेयक—

(१) (अ) बिना किसी परिसीमन के, या

खंड/खंडों (२)

(आ)——————.....के बारे में, या

संशोधन/संशोधनों (३)

(४)

(इ) विधेयक में——————.....उपबन्ध करने के अनुदेश के साथ, उसी

(५)

प्रवर-समिति को पुनः सौंपा जाय ; या

लोकमत परिचारित

(२) तिथि (६).....तक——————जानने के लिये——————किया जाय।

और लोकमत पुनः परिचारित

टिप्पणी—(१) किसी विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किये जाने पर कोई सदस्य उपर्युक्त दो संशोधनों में से किसी एक का प्रस्ताव कर सकते हैं।

(२) यदि किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य उपर्युक्त (१) के अधीन निर्दिष्ट प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्तुत करें [नियम २२६ (१) (ख)] तो कोई दूसरा सदस्य शेष प्रस्तावों में से किसी एक को संशोधन के रूप में रख सकते हैं।

५६। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उस विधेयक के खंडों के मूल-पाठ में संशोधन करने के प्रस्तावों की सूचनायें [वि० स० नियमावली का नियम २२६ (३)]—

मैं इसके द्वारा (१).....विधेयक पर सदन द्वारा विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद, निम्नलिखित संशोधन का/संशोधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं :—

टिप्पणी—ऐसे संशोधन का प्रस्ताव करने में निम्नलिखित सूत्रों में से किसी एक का, जो अभिप्रेत प्रयोजन के लिये समुपयुक्त हो, उपयोग किया जाता है :—

(१) विधेयक के खंड/खंड ....के उप-खंड.... का उप-खंड पद सं०.....निकाल दिया जाय।

---

(१) यहां विधेयक का नाम दीजिये।
(२) यहां खंड या खंडों की संख्या दीजिये।
(३) यहां संशोधन/संशोधनों का उल्लेख कीजिये।
(४) यहां अभिस्तावित विशेष उपबन्ध दीजिये।
(५) यहां अभिस्तावित अतिरिक्त उपबन्ध दीजिये।
(६) यहां तिथि दीजिये।

(२) विधेयक के खंड खंड.....के उप-खंड....के उप-खंड पद सं०....के बदले निम्न उप-खंड पद सं० रखा जाय :

(यहां प्रस्तावित संशोधन का मूलपाठ उद्धरण चिह्न के भीतर दीजिये ।)

(३) विधेयक के खंड।खंड....के उप-खंड....के उप-खंड।पद सं०....की पंक्ति। पंक्तियों....में आए शब्द शब्दों....के बदले शब्द शब्दों.....को रखा जाय ।

(४) विधेयक के खंड खंड....के उप-खंड....के उप-खंड पद सं०.... की पंक्ति । पंक्तियों ....में आए शब्द शब्दों....को निकाल दिया जाय ।

(५) विधेयक के खंड खंड ....के उप-खंड...के उप-खंड पद सं०.....की पंक्ति/ पंक्तियों....में आए शब्दों, कोष्ठकों, अंकों या। और अक्षरों "----------" के बदले शब्दों, कोष्ठकों, अंकों या और अक्षरों, "----------" को रखा जाय ।

(६) विधेयक के खंड.....में उप-खंड (ख) के बाद निम्नलिखित उप-खंड सन्निविष्ट/सम्मिलित किया जाय, अर्थात्

(ख)

"----------"

(ग)

(७) विधेयक के खंड----------के बाद निम्नलिखित नया खंड सम्मिलित किया जाय, अर्थात् "----------" ।

टिप्पणी—संशोधन में संशोधन करने के प्रस्तावों के लिये विधेयक के संशोधनों के प्रस्तावों पर जो सूत्र लागू होते हैं, वे ही आवश्यक परिवर्त्तन के साथ व्यवहृत होते हैं ।

---

६० । संयुक्त प्रवर-समिति में कार्य करने के लिये सदस्यों को मनोनीत करने का प्रस्ताव [वि०स० नियमावली का नियम २३१(३)]—

प्रवर समिति

मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....(१) विधेयक जिस---------- — को

संयुक्त प्रवर समिति

सौंपा गया है उसके लिये विधान-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायं :—

(यहां प्रस्तावित सदस्यों के नाम दीजिये)

---

(१) यहां विधेयक का नाम दीजिये ।

६१। विशेषाधिकारों के संबंध में प्रस्तावों का प्रपत्र (वि०स० नियमावली के नियम २४२, २४३, २४५, २४६ और २११)।

टिप्पणी—इस प्रकार के जितने प्रस्ताव हो सकते हैं उन सबके लिये निश्चित प्रपत्र नहीं है। प्रत्येक प्रस्ताव की अपेक्षा के अनुसार किसी उपयुक्त प्रपत्र को अपनाया जा सकता है। नीचे जो प्रपत्र दिए जा रहे हैं वे केवल नमूने के लिये हैं।

६१(क)। विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने के लिये प्रस्ताव की सूचना का प्रपत्र (वि०स० नियमावली के नियम २४२ तथा २४३)—

मैं .....(१) के संबंध में.....(२) के विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ।

प्रश्न के आधारभूत आवश्यक लेख्य अनुलग्न हैं।

---

६१ (ख)। जब प्रश्न को उपस्थित करने के लिए सदन की अनुमति मांगने का प्रस्ताव किया जाय (वि०स० नियमावली का नियम २४५)—

मैं.....(१) के संबंध में .....(२) के विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उपस्थित करने के लिए सदन से अनुमति मांगता हूँ।

---

६१ (ग)। जब विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को विशेषाधिकार-समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया जाय (वि०स० नियमावली का नियम २४६)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मेरे/ श्रीमती द्वारा उपस्थित किया गया विशेषाधिकार-उल्लंघन का प्रश्न इस अनुदेश के साथ विशेषाधिकार-समिति को विचार करने के लिये सौंपा जाय कि वह तिथि ..... (३) के पहले अपना प्रतिवेदन दे।

---

(१) यहां प्रश्न के विषय को संक्षेपतः किन्तु यथार्थतः लिखिए।

(२) यहां लिखिए कि किसके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, सदस्य का, सदन का या किसी सदन-समिति का।

(३) यहां उस तिथि का उल्लेख कीजिये जिसके पहले प्रतिवेदन देने का प्रस्ताव किया गया है।

६१ (घ) । जब विशेषाधिकार-समिति को प्रश्न सौंपे बिना सभा का निर्णय तत्क्षण प्राप्त करने की इच्छा हो (वि०स० नियमावली का नियम २४६)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

चूंकि ....(१).......(२) के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के/का दोषी पाए गए हैं,/पाया गया है, इसलिये उनके/इसके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाय..........(३)

६१(ङ) । विशेषाधिकार-समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का प्रपत्र (२४८, २४९)—

मैं, ...(४) के संबंध में विशेषाधिकार-समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित रता हूँ ।

क ६२ । विधेयक संबंधी प्रार्थना-पत्र के उपस्थापन के लिये प्रपत्र (वि० स० नियमावली का ‌‌। नयम २६२)—

इसका प्रपत्र नियम ही में निम्नांकित रूप में विहित है :—

"मैं........विधेयक के संबंध में प्रार्थी श्री..............द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रार्थना-पत्र उपस्थापित करता हूँ ।"

---

६३ । नियम-संशोधन के प्रस्ताव की सूचना (वि०स० नियमावली का नियम २८४)—

(विधेयकों के संशोधन के विषय में सूचना और प्रस्तावों के प्रपत्रों को देखें ।)

---

६४ । राज्यपाल को संबोधन करने का प्रस्ताव [वि०स० नियमावली का नियम २८६(क]—

मैं इसके द्वारा तिथि........(५) को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूँ कि:

राज्यपाल को निम्नलिखित संबोधन किया जाय :—

"महामहिम,

(यहां संबोधन का मूलपाठ दीजिये ।)"

---

(१) यहां, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति या निकाय का नाम दीजिए ।

(२) यहां लिखिए कि किसके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, सदस्य का, सदन का या किसी सदन-समिति का ।

(३) यहां सभा द्वारा दिये जाने के लिये प्रस्तावित निर्णय का मूलपाठ दीजिये ।

(४) यहां संबंधित व्यक्ति या निकाय का नाम दीजिए—वाद की संक्षिप्त विषयवस्तु ।

(५) यहां उस तिथि का उल्लेख कीजिये जिस दिन प्रस्ताव करना हो ।

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं, ...

जो विधान-सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा ।

I, _____,

having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the Sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.

میں ..... ،

جو قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہوا
ہوں، خدا کے نام سے حلف لیتاہوں/
صدق دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں
قانون کے ذریعہ قائم کردہ آئین ہند کے
تئیں صحیح عقیدت اور خلوص رکھوں گا،
میں ہندوستان کی خود مختاری اور
یکجہتی قائم رکھوں گا اور جس عہدے پر
میں فائز ہونے والا ہوں اسکے فرائض
ایماندارانہ طور پر انجام دوں گا۔

हम,.....,

जे विधान-सभाक लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी/सत्य निष्ठा सँ प्रतिज्ञान करैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा आओर निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता आओर अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद कें हम ग्रहण करय बला छी, ओकर कर्त्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब ।

अहम्, _____,
विधानसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः (नामनिर्देशितो वा), निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे। सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञाने यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये, भारतस्य प्रभुत्वमखण्डताञ्चानुरक्षिष्यामि, तथा यत्पदं ग्रहीतुमुद्यतोऽस्मि तस्य कर्त्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।